न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2015/188 दायर दिनांक 06.10.2015

वादी		प्रतिवादीगण
1. चन्द्राराम पुत्र कानाराम, जाति जाट, निवासी लादड़िया, तहसील डीडवाना, जिला नागौर	बनाम	1. मोहनराम पुत्र किशनाराम, 2. किशनाराम पुत्र भैराराम, 3. भंवरलाल पुत्र दानाराम, 4. चेनाराम पुत्र दानाराम, 5. रामेश्वर पुत्र दानाराम, 6. पेमली पत्नि दानाराम, 7. नारायणी पुत्री उमाराम, 8. कमला पुत्री कानाराम, 9. रेखा पुत्री कानाराम, 10. भंवरी देवी पुत्री लादुराम, 11. पेमाराम पुत्र लादुराम, समस्त जाति जाट, निवासी लादड़िया, तहसील डीडवाना 12. श्रीमान तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी,

रेकर्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित :–

1. पक्षकारान उपस्थित।

–:: निर्णय ::– दिनांक 30.06.2018

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 248 रकबा 27.08 बीघा वाके सरहद लादड़िया वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 ता 10 की खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, नकल खतौनी संवत् 2069–72 वाद के साथ पेश है। वादी ने श्रीमान सहायक कलैक्टर डीडवाना के न्यायालय में एक वाद बाबत बंटवारा मुकदमा संख्या 205/2000 पेश किया था, जिसका निर्णय दिनॉक 25.10.2002 को हो गया। जिसके अनुसार खेत खसरा संख्या 248 रकबा 41.08 बीघा व खसरा संख्या 247 रकवा 0.05 बीघा कुल रकबा 41.13 बीघा में से 1/2 हिंस्सा की खातेदारी राजुराम, चन्द्राराम पिसरान कानाराम की थी, जिसमें से राजुराम का नाम हटा दिया गया अर्थात उक्त कुल रकबा 41.13 बीघा में से 1/2 हिंसंसे का खातेदार अकेले वादी चन्द्राराम को घोषित कर श्रीमान तहसीलदारी डीडवाना को इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदगी का आदेश

पृष्ठ संख्या .....2.... लगातार

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

दिया था, जिसके अनुसार उप तहसीलदार मौलासर द्वारा दिनांक 13.12.2002 को चन्द्राराम पुत्र कानाराम की 1/2 खातेदारी बाबत नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया, लेकिन उसके बाद पटवारी हल्का ने सहव से चन्द्राराम पुत्र कानाराम का हिस्सा 1/2 की बजाय चन्द्राराम पिसरान कानाराम, मोहन, किसना पिसरान भैरा, लादु पुत्र बालु जाति जाट, निवासी लादड़िया, के सम्मिलित रूप से रकबा 27.08 बीघा बाबत जमाबन्दी में अंकन एक दुसरे वाद का हवाला देकर कर दिया, तथा इतना ही नहीं संम्वत् 2067–72 की जमाबन्दी में वादी चन्द्राराम की बजाय चान्दमल पुत्र कानाराम का अंकन कर दिया, जबकि शुरू से लेकर आज तक जमाबन्दीयो, नामान्तरकरण पंजिका, पहचान पत्र व अन्य सभी दस्तावजेजो में वादी का नाम चन्द्राराम दर्ज है। जिसका कारण वादी के जायज अधिकारीर खतरे में पड़ गये है। तथा अजहद नुकसान होने की संभावना बन गयी है। तथा श्रीमान सहायक कलैक्टर महोदय डीडवाना के आदेश व उपतहसीलदार मौलासर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण की और ध्यान दिये बिना ही पटवारी हल्का ने सामुहिक रूप से खातेदारी दर्ज कर दी, जिसका उल्लेख जमाबन्दी की नकल सम्वत् 2061–2064 में उल्लेख है, नामान्तरकरण की नकल वाद के साथ पेश है। हालॉकी इस जमाबन्दी की नकल में खसरा संख्या 247 रकबा 0.05 बीघा व खसरा संख्या 248 रकबा 41.08 बीघा कुल 41.13 बीघा में चन्द्राराम पिसरान कानाराम 1/2 खातेदारी दर्ज है। लेकिन दिनॉक 07.04.2006 का हवाला देकर चन्द्राराम पिसरान कानाराम 1/2 हि बजाय चन्द्राराम, मोहन, किसना व लादुराम के नाम से संयुक्त रूप से खातेदारी दर्ज कर दी, जो सरासर गलत दर्ज की है। लादुराम के स्वर्गवास पर उसके वारिसान प्रतिवादी नम्बर 03 ता 11 के नाम से नामान्तरकरण हो गया। जिसकी दुरूस्ती की जानी जरूरी है। खेत खसरा संख्या 247 रकवा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 248 रकबा 41.08 बीघा कुल 41.13 बीघा वाके लादड़िया स्थित है। जिसमें से 1/2 हिंस्सा अर्थात 20.16 बीघा की खातेदारी वादी के नाम की जानी जरूरी है। तथा इस 1/2 हिंससे की खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाकर अकेले वादी के नाम से की जाना न्यायोचित है, अतः वादी को दावा बावत घोषणा खातेदारी का करना लाजमी आया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 को वास्ते जवाव देही न्यायालय में हाजिर होने बावत् जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी संख्या 07 से 12 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 06 की और से वकालनामा पेश किया, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अपने जवाब दावा पेश किया जिसमें वादी द्वारा मांगी गयी किसी भी सहायता का खंडन नहीं किया है।

वादी ने जमाबन्दी संवत् 2041 से 2044, जमाबन्दी संवत् 2061 से 2064 व नामान्तरण पंजिका, रजिस्टर्ड विक्रय पत्रो से बताया कि चन्द्राराम पुत्र कानाराम, जाति जाट, निवासी लादड़िया का इन सभी दस्तावेजात में अर्थात पुराना खसरा संख्या 248 रकबा 41.13 बीघा में वादी का 1/2 हिंस्सा दर्ज है, तथा खसरा संख्या 248 का वंटवारा होकर तेजाराम पुत्र पोकरराम के 7 बीघा, रामेश्वर पुत्र पोकरराम के 7 बीघा दर्ज हो रखी है, तथा खसरा संख्या 248 रकबा 27.08 बीघा में से भी 07 बीघा की खातेदारी मोहन, किसना पुत्र भैरा व लादू पुत्र बालु के नाम दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन इनकी खातेदारी वादी के साथ ही खसरा संख्या

पृष्ठ संख्या ......3..... लगातार

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

248 रकबा 27.08 में दर्ज कर दी गयी तथा लादुराम के स्वर्गवास के बाद प्रतिवादी नम्बर 03 ता 11 के नाम से जरिये नामान्तरकरण खातेदारी दर्ज हो गयी। जबकि वादी 20.08 बीघा का हकदार है तथा इसके नाम से 20.08 बीघा की अलग खातेदारी दर्ज करनी चाहिऐ थी। क्योंकि वादी के खेत खसरा संख्या 248 रकबा 41.13 बीघा में से 1/2 हिंस्सा जरिये रजिस्ट्री खरीद किया हुआ है, तथा 1/2 हिंस्से का ही नामान्तरकरण वादी के नाम किया हुआ है, इस प्रकार की वादी इस्तदुआ कर रहा है।

पक्षकारान को सुना गया, पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद सादिर डिक्री किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद लादड़िया में स्थित वर्तमान खेत खसरा संख्या 248 रकबा 27.08 बीघा, में से 20.08 बीघा भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा शेष 07 बीघा भूमि की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 01 ता 11 के नाम से तथा खसरा संख्या 247 की खातेदारी यथावत रहेगी तथा वादी चन्द्राराम के नाम के गलत अंकन चांदमल की जगह चन्द्राराम की दुरूस्ती की जाती है, इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **30.06.2018** को न्याय आपके द्वार मेघा केम्प डीडवाना में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

दिनांक :- 13/7/2018

नोट :- नवीनतम जमाबन्दी अनुसार वादी का नाम चन्द्राराम के स्थान पर चन्द्रकाराम इन्द्राज किया गया है

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2015/188

दायर दिनांक 06.10.2015

वादी		प्रतिवादीगण
1. चन्द्राराम पुत्र कानाराम, जाति जाट, निवासी लादड़िया, तहसील डीडवाना, जिला नागौर	बनाम	1. मोहनराम पुत्र किशनाराम, 2. किशनाराम पुत्र भैराराम, 3. भंवरलाल पुत्र दानाराम, 4. चेनाराम पुत्र दानाराम, 5. रामेश्वर पुत्र दानाराम, 6. पेमली पत्नि दानाराम, 7. नारायणी पुत्री उमाराम, 8. कमला पुत्री कानाराम, 9. रेखा पुत्री कानाराम, 10.भंवरी देवी पुत्री लादुराम, 11.पेमाराम पुत्र लादुराम, समस्त जाति जाट, निवासी लादड़िया, तहसील डीडवाना 12. श्रीमान तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी,

रेकर्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनांक :– 30.06.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिह बलारा, रणजीत बलारा, अधिवक्ता, वादीगण की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा लादड़िया पटवार क्षेत्र लादड़ियां भू– निरीक्षक क्षैत्र **मौलासर,** तहसील डीडवाना जिला नागौर में हस्व दावा अन्तिम डिक्री सादिर कर वाके सरहद लादड़िया में स्थित वर्तमान खेत खसरा संख्या 248 रकबा 27.08 बीघा, में से 20.08 बीघा भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा शेष 07 बीघा भूमि की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 01 ता 11 के नाम से तथा खसरा संख्या 247 की खातेदारी यथावत रहेगी तथा वादी चन्द्राराम के नाम के गलत अंकन चांदमल की जगह चन्द्राराम की दुरूस्ती की जाती है, इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।

नीज..........–...........मुबलिंग............मुबलिंग...........–..............बाबत.............–............ खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह ....–............ आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 30.06.2018 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर	–		बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
थमजान			मिजान		

ट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

दिनांक:- 13/7/18

नोट:- नवीनतम जमाबन्दी अनुसार वादी का नाम पत्रावली के ऊपर पर नवीनतम इन्द्राज किया गया है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)